

बिहार स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लि. पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, टाईग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax: 0612-2215994

(Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या: 244/..... बी. एस. एम. एफ. सी. /

पटना

दिनांक:

स्वीकृतदेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार को माप संख्या-909 दिनांक-11.04.2017 में वर्णित 15 टैंडों में राज्य सम्पत्तिव मूल्यांकन अल्पसंख्यक योजना में शामिल किया गया था। दिनांक-23.08.2017 से 25.08.2017 को चयनित आवेदकों में से निम्नलिखित आवेदकों से प्रपण्डनीय प्रणाली द्वारा कर्म विभागा के कृषि विभाग कर्मचारियों/दस्तावेज विभागा के कर्मचारियों को उनके द्वारा रखल जाँच कर सम्पत्ति किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में प्रणाली की स्वीकृति देने के लिए को गई अनुशंसा के आधार पर कुल 03 लागूक को उनके नाम के सामने ऑफिस टैंड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाई गए प्रणाली की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 1531 दिनांक 18.05.2016 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से प्रणाली प्रणाली करने हेतु प्राप्त निर्देश के आलाक में स्वीकृत प्रणाली में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के प्रस्ताव नीचे शुद्ध प्रतिये के साथ में दर्शाये गये प्रणाली जाँच सम्बन्धित लागूक के आधार कर्ड आखिरत बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No.	वर्ण	संख्या	आप्लि Name / F/H Name & Address	Bank A/C No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	12/06		MD SARFARAZ ANSARI, S/O- LATE NURUL HODA, VIII.-KUDRA, Block- KUDRA, PS-KUDRA, PO-KUDRA, Distt.124-KAIMUR-821108	A/C No.:- 11799245009	ELECTRONIC SHOP	200000	1000	199000
2.	163		SHAHID NAWAZ, S/O- SHARIFUL HAQUE ANSARI, VIII.-TALA, Block-ADHAURA, PS-ADHAURA, PO-KOLHUA, Distt.-KAIMUR-821102	A/C No.:- 917010075185798	CLOTH SHOP	400000	2000	398000
3.	264		IRSHAD ANSARI, S/O- AZIZUR RAHMAN ANSARI, VIII.-STUWERGANJ, Block- MOHANIA, PS-MOHANIA, PO-MOHANIA, Distt.-KAIMUR-821109	A/C No.:- 14462191021524	READYMADE GARMENTS	500000	2500	497500
TOTAL						1100000	5500	1094500

स्वीकृत प्रणाली में वर्णित टैंड में लागू प्रणाली द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सम्पत्तियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा प्रणाली से संचित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सम्पत्तियों की शीति कर से कर लिया जाना है तथा प्रणाली द्वारा प्रतिवेदन सम्पत्ति किये जायेंगे।

उक्त स्वीकृत प्रणाली को अल्पसंख्यक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान नैमासिक किस्मों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

रु०/-
प्रबंध निर्देशक

दिनांक: 24/11/17

प्रणाली: बिना अल्पसंख्यक कल्याण पर्याप्तिकारी, कर्म/सभी अल्पसंख्यक/अल्प साधारण/अल्प साधारण (कर्म/सभी) प्रणाली

लेखा शाखा/प्रपण्डनीय कार्यालय प्रणाली को सूचनाएँ एवं अनुपालनाएँ प्रेषित ।

प्रबंध निर्देशक

24/11/17